का॰ ज्ञा॰ सं॰ 14013/8/94-रा॰भा॰ (क-1), दिनांक 25.5.1994

विषय:— राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों, समारोहों आदि में बैनर, नामपट्ट, सूचना-पट्ट आदि द्विभाषी (हिन्दी/अंग्रेजी) रूप में प्रदिर्शित किए जाने के विषय में

प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 24 जुलाई, 1993 को हुई केन्द्रीय हिन्दी समिति की 23वीं बैठक में इस विषय पर विचार विमर्श हुआ था कि राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों, समारोहों आदि में बैनर, नामपट्ट, सूचनापट्ट आदि राजभाषा नियमों के अनुसार द्विभाषी (हिन्दी/अंग्रेजी) रूप में प्रदिर्शित किए जाएं।

राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में मंत्रालयों/विभागों में यह अनुरोध किया जाता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/समारोहों में देश की राजभाषा हिन्दी को उचित स्थान दिया जाए और इस संबंध में छपने वाले साहित्य, प्रपत्र, बैनरों, बैजों आदि में हिन्दी का प्रयोग किया जाए।

विभाग यह निर्देश भी दे चुका है कि विभिन्न मंत्रालयें द्वारा आयोजित सभी समारोहों और बैठकों में सभी साइन बोर्डों आदि पर दोनों भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। इन निर्देशों के बावजूद यदा कदा ऐसा देखने में आता है कि इनका पालन पूरी तौर पर नहीं हो रहा है। सभी मंत्रालयों/विभागों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों, समारोहों आदि में बैनर, नामपट्ट, सूचना पट्ट, साहित्य, परिपत्र, बैजों आदि में हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए।